10.7.2020

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबदी रद्द अभिलेख सं0 50 /2018-19

बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जॉच एव कार्रवाई से सबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	झारखड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0 दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र सख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनाक 03.09.1985 एंव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सख्या–914/रा0 दिनाक 09.12.1998 मे निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियो की जॉच प्रारंभ की गयी। जांच के कम मे हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है– मौजा–आमाधाटा मौजा न0–09 खाता न0 28 प्लॉट न0 138 रकवा 05 कटठा की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पंजी–।। के जिल्द सख्या 02 के पृष्ठ सख्या 199 पर जमाबदी रैयत श्री/श्रीमति राम हरि प्रसाद शर्मा के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमाबदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अत:– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अचल–निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनाक 27/3/19 को रखे। 13.3.19 अंचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned by CamScanner

20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। मौजा आमाघाटा मौजा न0 09 खाता न0 28 प्लॉट न0 138 रकवा 05 कटठा भूमि से संबधी राजस्व कागजात उपलब्ध कराने हेतु जमांबदी रैयत को नोटिश निर्गत किया गया, परंतु रैयत के संबध में खोज–बीन किया परंतु पता नही चला, जिसके कारण नोटिश बिना तामिला का ही प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख मे संलग्न है। संबधित राजस्व कर्मचारी एंव अचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैरआवाद खाते की है दाखिल खारिज वाद स0 1119(II)1992–93 के अनुसार जमांबदी कायम है

अतः– संबधित राजस्व कर्मचारी /अंचल निरिक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे जमाबदी रद्द अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद, को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एंव संशोधित।

20.6.20

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

20.6.20

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

Scanned by CamScanner